न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : मानाराम पटेल आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 546/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– ढलाराम पुत्र गणेशराम 2– पेमाराम पुत्र गणेशराम के का0मुकाम– 2.1–टीपूदेवी पत्नी स्व0पेमाराम 2.2–गणपत पुत्र स्व0 पेमाराम 2.3–हनुमान पुत्र स्व0 पेमाराम 3– चौपाराम पुत्र सकाराम 4– हीराराम पुत्र सकाराम 5– जमना पुत्री सकाराम 6– श्रीमती झमकु बेवा सकाराम 7– लछीराम पुत्र खूबाराम 8– जैसाराम पुत्र खूबाराम 9– रंगुदेवी बेवा खूबाराम सभी जातियान कुम्हार निवासीगण बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर		1– रामलाल पुत्र शंकरलाल मेघवाल निवासी बालोतरा 2– कमलेश कुमार पुत्र शंकरलाल 3– ढेली पत्नी शंकरलाल मेघवाल निवासी धतरवालो की ढाणी 4– हडमानाराम पुत्र जेठाराम मेघवाल निवासी बालोतरा 5– उकाराम पुत्र लछाराम मेघवाल निवासी बायतु 6– पुखराज पुत्र हडमानराम मेघवाल निवासी बालोतरा 7– रूकमणी देवी पत्नी धूडाराम मेघवाल बालोतरा 8– धापूदेवी पत्नी सूजाराम मेघवाल निवासी जेठन्तरी 9– संतोषदेवी पत्नी नरसींगाराम जाति जटिया निवासी बालोतरा 10–अणचीदेवी पत्नी सूजाराम हीरागर निवासी करमावास 11– सूबटीदेवी पत्नी जबराराम मेघवाल निवासी अर्धण्डी 12– वरजूदेवी पत्नी लूणाराम मेघवाल निवासी बायतू 13– बंशीलाल पुत्र चुन्नीलाल जाति घांची निवासी बालोतरा 14– दुर्गाराम पुत्र चुन्नीलाल 15– गौतम पुत्र चुन्नीलाल 16– पुष्पा पुत्री चुन्नीलाल 17– दाखुदेवी पत्नी चुन्नीलाल 18–कानमल पुत्र घेवरचंद खत्री 19– खगेन्द्रनाथ सरकार पुत्र जतीन्द्रनाथ सरकार 20–प्रशांतकुमार पुत्र महेन्द्रकुमार 21–सुन्दरकंवर पत्नी राधाकिशन श्राजपुरोहित 22–प्रभु पुत्र चिमन सुथार बालोतरा 23–रामलाल पुत्र शिवसिह 24–शंकरलाल पुत्र शिवसिह 25–भवानीसिह पुत्र मांगीलाल 26–रणजीतसिह पुत्र मांगीलाल रेस्पो0 21 से 26 जाति राजपुरोहित 27–मीना पुत्री मांगीलाल 28–चंपादेवी पत्नी मांगीलाल 29–प्रभूलाल पुत्र उदाराम घांची 30–घेवरचंद पुत्र उदाराम घांची 31–राणाराम पुत्र रामाराम कुम्हार 32–पारसमल पुत्र रामाराम कुम्हार 33–सुआ पत्नी मोडा कुम्हार निवासीगण बालोतरा 34–नरसिंग पुत्र मोडा

		35—भगवानचंद पुत्र मोडा कुम्हार 36—भंवरी पुत्री मोडा 37—लक्ष्मी पुत्री मोडा 38—श्रीमाती लीला पत्नी नारायण 39—लीलादेवी आसुराम प्रजापत निवासी बालोतरा 40—गजरोदेवी पत्नी राजूराम मेघवाल 41—भटराज पुत्र राजूराम मेघवाल 42—हंसराज पुत्र राजूराम मेघवाल 43—राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार 44—नगर परिषद जरिये आयुक्त नगर परिषद बालोतरा

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 31—12—2015 जो सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ) बालोतरा द्वारा मुकदमा संख्या 69/2014 अनवान रामलाल वगैरा बनाम बंशीलाल वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः—

1—श्री गुलाब सिह चंपावत अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2—श्री बालाराम कुमावत अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1, 2, 3, 5 8 से 12 व 16 की ओर से ।
3— श्री सुगनमल परिहार अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 18 से 20 एवं 23 से 28 की ओर से ।
4— श्री मधुसुदन पुरोहित अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 44 की ओर से ।
5— शेष रेस्पो0 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 28—9—2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 से 12 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत लट्ठा ट्रेस मे तरमीम कायम करने बाबत इस आशय का प्रस्तुत किया कि "प्रार्थीगण के खातेदारी के खसरा नंबर 603/50 रकबा 25 बीघा तथा प्रार्थी संख्या 1 रामलाल एवं प्रार्थी संख्या 4 हडमानराम दोनो के संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नंबर वर्तमान मे 608/50 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा अवस्थित रही है जिसके पुराने खसरा नंबर 50/8 थे । प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 603/50 रकबा 25 बीघा मे से 60 बिस्वांसी भूमि नगरपरिषद के खाते मे अंकित की गई जिस वजह से नगर परिषद बालोतरा को पक्षकार बनाया गया है । मूल खसरा नंबर 50 के कुल रकबा मे से प्रत्येक खातेदार प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 35 के खातेदारी की भूमियों की खतौनी तो अलग—अलग हो गई और खाता नंबर भी जुदा—जुदा अंकित हो गये किन्तु लट्ठा ट्रेस नक्शा मे मूल खसरा नंबर 50 मे एक मात्र खसरा नंबर 604/50 की तरमीम को दर्शाया हुआ है तथा उक्त तरमीम भी बिना सक्षम प्राधिकारी के आदेश एवं बिना हम पक्षकारो को सुनवाई का अवसर दिये ही अवैद्य रूप से की हुई है । प्रार्थना पत्र मे यह भी उल्लेख किया कि बिना क्षेत्राधिकार की कोई अवैद्य की गई तरमीम की प्रविष्टियो से कोई हक न तो उत्पन्न होते है और न ही समाप्त होते है । मूल खसरा नंबर 50 के लट्ठा ट्रेस मे

माफिक कब्जा खतौनी के रकबा अनुसार तरमीम करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय से निवेदन किया ।" जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगणो को सुनकर तथा तहसीलदार पचपदरा से वस्तुस्थिति रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31–12–2015 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए तहसीलदार पचपदरा की रिपोर्ट दिनांक 7–12–15 के सलंग्न प्रस्तुत रेकर्ड लट्ठा ट्रेस मे मौजा जेरला के पुराने खसरा नंबर 50 के बने नये खसरा नंबर का अंकन करते हुए अधिक कब्जा की भूमि को पीले रंग मे दर्शाया गया है तथा प्रस्तावित तरमीम को लाल स्याही से डॉट–डॉट से दर्शाया गया है, जो उक्त आदेश का भाग रहेगा । खसरा नंबर 50 मे एक मात्र खसरा नंबर 604/50 को बिना सक्षम अधिकारी के आदेश व बिना प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये ही अवैद्य रूप से तरमीम की जाने से खारीज करने के आदेश पारित किये तथा तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत उक्त रिपोर्ट दिनांक 7–12–2015 अनुसार मौके पर तरमीम के आदेश पारित कर दिये जाने पर यह अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत हुई है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांटगण की खातेदारी राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे अलग अलग दर्ज है तथा मौके पर उसी भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है इसलिए अपीलांट के कब्जा काश्त की भूमि पर नक्शे मे रेस्पो0 के नाम तरमीम नही की जा सकती है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नंबर 50 की फर्द मौका रिपोर्ट तलब की थी, उसी माफिक अपीलांटगण व रेस्पो0गण का खसरा नंबर 50 मे कब्जा व काश्त मौके पर चला आ रहा है तथा उसी अनुसार फर्द तैयारी की थी तथा मौका रिपोर्ट मे अपीलांट व रेस्पो0 की कब्जा सुद खातेदारी भूमि जिस प्रकार स्थित थी उसी प्रकार फर्द मौका मे दर्शाया गया है। उक्त फर्द मे भी अपीलांटगण का रेस्पो0 की खातेदारी की भूमि पर कोई कब्जा नही किया जाना तथा अपीलांट का अपने खातेदारी की भूमि पर ही कब्जा काश्त बताया गया है फिर भी रेस्पो0 ने अपीलांटगण की कब्जा सुदा खातेदारी भूमि पर नक्शा मे गलत तरमीम करवाकर अपीलांटगण की खातेदारी भूमि का हक हिस्सा व अधिकार निरस्त करवाना चाहता है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण की कब्जा सुदा खातेदारी भूमि पर रेस्पो0 की खातेदारी भूमि बताते हुए नक्शा मे जो तरमीम करने के आदेश दिये है, उक्त फर्द मौका रिपोर्ट के विपरीत आदेश दिया है जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलांटगण व अन्य खातेदारो ने खसरा नंबर 50 मे कोई नक्शा मे तरमीम नही करवाई है । वक्त सेटलमेंट से खसरा नंबर 50 के लट्ठा ट्रेस मे कोई तरमीम नही है । इस कारण अधीनस्थ न्यायालय ने नये सिरे से नक्शा मे तरमीम करने का आदेश दिया है, जो मौका एवं कब्जा काश्त अनुसार नही दिया है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार

पचपदरा की जिस रिपोर्ट दिनांक 7–12–15 को आधार मानकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, परंतु तहसीलदार पचपदरा ने अपीलांटगण को कोई सूचना या नोटिस दिये बिना एकतरफा मौका रिपोर्ट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रस्तुत की है, जिसमे अपीलांटगण की खातेदारी भूमि पर रेस्पो0 का कब्जा बता दिया, जो मौके के अनुसार सही नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांटगण के खातेदारी के खेत खसरा नंबर 597/50 रकबा 15.18 बीघा तथा खसरा नंबर 607/50 रकबा 1.05 बिस्वा मौजा जेरला तहसील पचपदरा मे स्थित है तथा दोनो खसरान की भूमि पर अपीलांटगण जब से खातेदारी राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हुई, तब से मौके पर कब्जा काश्त है । परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण के खातेदारी भूमि खसरा नंबर 597/50 की मौके पर कब्जा के अनुसार तरमीम नही करके रेस्पो0 की तरमीम बता दी जो कानूनन गलत है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नंबर 50 मे स्थित खातेदारी भूमि यानि सम्पूर्ण खातेदारो की भूमि का नक्शा मे तरमीम करने का आदेश नही दिया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय को खसरा नंबर 50 की सम्पूर्ण भूमि के संबंध मे नक्शा मे तरमीम करने का आदेश देना चाहिये था, अन्य सहखातेदारो की भूमि के संबंध मे नक्शा मे तरमीम करने का आदेश दिया जाना चाहिये था जबकि अन्य सहखातेदारो की भूमि के संबंध मे नक्शा मे तरमीम करने का कोई आदेश नही दिया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

अंत मे वकील अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत तहसीलदार पचपदरा की रिपोर्ट दिनांक 7–12–2015 के साथ जो नक्शा बनाकर रकबे की कमी पूर्ति हेतु जो प्रस्ताव/सुझाव प्रस्तुत किया है, उसके माफिक सभी खातेदारान मौके पर काबिज हो चुके है इसलिए उक्त विवाद के निस्तारण के लिए माफिक तहसीलदार पचपदरा की रिपोर्ट मौके पर काबिज अनुसार राजस्व नक्शे मे तरमीम करने के आदेश पारित करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 गण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलाधीन भूमि मे मौके पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा द्वारा पारित निर्णय के पश्चात सभी खातेदारान तहसीलदार पचपदरा की रिपोर्ट दिनांक 7–12–2015 के अनुरूप अपने अपने खातेदारी की भूमि पर काबिज हो गये है इसलिए तहसीलदार पचपदरा की रिपोर्ट दिनांक 7–12–2015 के माफिक खातेदारो के कब्जे की जांच कर राजस्व नक्शे मे तरमीम दुरस्ती की कार्यवाही की जाने के आदेश पारित करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 23, 24 की ओर से अधिवक्ता सुगनमल परिहार ने अपनी बहस के दौरान फार्म नंबर 3 के सलग्न उनके पिता शिव सिह राजपुरोहित को पुराने खसरा नंबर 50/11 मे आवंटित हुई भूमि तथा वर्तमान अपीलांटगण के पूर्वज खुबाराम को पुराने खसरा नंबर 50/12 एवं 50/2 मे भूमि आवंटित होने पर उनके पक्ष मे आवंटन के आधार पर स्वीकृत किये म्युटेशनो की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की जिसके अनुसार रेस्पो0

को आवंटित भूमि अनुसार नक्शे मे तरमीम की जाना प्रकट है । रेस्पो0 अधिवक्ता ने फार्म नंबर 3 के सलंग्न पुराने खसरा नंबरान से बने नये खसरा नंबरान की सूची भी प्रस्तुत की ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31–12–2015 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे तहसीलदार पचपदरा से तलब की गई रिपोर्ट 7–12–2015 का भी अध्ययन किया तथा वकील रेस्पो0 द्वारा बहस के दौरान फार्म नंबर 3 के सलंग्न प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का भी अवलोकन किया ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 7–12–2015 को आधार मानकर पारित किया है तथा तहसीलदार पचपदरा की रिपोर्ट पुराने खसरा नंबर 50 के बने सभी नये खसरा नंबरान की भूमि की पैमाईश रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नंबर 50 मे से एकमात्र खसरा नंबर 604/50 की तरमीम को खारीज करने के आदेश पारित किये है, जो तहसीलदार पचपदरा की खसरा नंबर 50 मे अवस्थित सभी खातेदारो के कब्जा व पैमाईश रिपोर्ट अनुसार काबिज करवाया जाना तथा तदुपरांत तरमीम किया जाना उचित होगा ।

बहस के दौरान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा किये गये कथन अनुसार सभी खातेदार तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 7–12–2015 के माफिक खसरा नंबर 50 के सभी खातेदारान मौके पर अपने अपने खातेदारी की भूमि पर काबिज हो चुके है, वर्तमान मे पक्षकारान के बीच अब मौके पर कब्जे संबंधी कोई विवाद नही है तथा अपीलांट व रेस्पो0 दोनो के कब्जे की कमी पूर्ति हो चुकी है । ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा द्वारा पारित निर्णय मे आंशिक हस्तक्षेप करते हुए अतिरिक्त निर्देश प्रदान किये जाते है कि मौजा जेरला के पुराने खसरा नंबर 50 के बने समस्त नये खसरा नंबरान के संबंध मे तहसीलदार पचपदरा की रिपोर्ट दिनांक 7–12–2015 एवं उसके सलंग्न प्रस्तुत प्रस्तावित नक्शा ट्रेस प्रदर्श ए 1/5 मे दर्शाये अनुसार रकबे की कमी बेशी से खातेदारान को ज्ञान करवाकर तरमीम संबंधी कार्यवाही सम्पन्न करे । ताकि भविष्य मे पक्षकारो के बीच सीमा को लेकर किसी प्रकार का विवाद न हो । उक्त अतिरिक्त निर्देशो के साथ वर्तमान अपील निर्णित की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28–9–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

28/9/18

(मानाराम पटेल)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर